उत्तराखण्ड शासन
राजस्व अनुभाग–2
संख्या– /XVIII(II)/2019–20(38)/2018
देहरादूनः दिनांक 04 ~~सितम्बर~~ नवम्बर, 2019

शुद्धि पत्र

उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950) (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2001) के अन्तर्गत औद्योगिक प्रयोजन हेतु क्रय की गई कृषि भूमि को खतौनी में अकृषिक अंकित करने के सम्बन्ध में निर्गत उपरोक्त विषयक शासनादेश संख्या–132/XVIII(II)/2019–20(38)2018 दिनांक 17 सितम्बर, 2019 के प्रस्तर–3 एवं प्रस्तर–4 में यह उल्लेख किया गया है कि "किसी भूमिधर द्वारा अपनी स्वामित्व की भूमि का औद्योगिक इकाई स्थापित करने हेतु उत्तराखण्ड उद्यम एकल खिडकी सुगमता और अनुज्ञापन अधिनियम, 2012 के अनुक्रम में गठित राज्य प्राधिकृत समिति की अनुमति प्राप्त कर ली जाती है तो उक्त भूमि को धारा 143 के अन्तर्गत स्वतःअकृषिक (औद्योगिक आशय) से प्रख्यापित समझी जायेगी" तथा धारा 154 के अन्तर्गत औद्योगिक प्रयोजन हेतु उत्तराखण्ड उद्यम एकल खिडकी सुगमता और अनुज्ञापन अधिनियम, 2012 के अनुक्रम में गठित राज्य प्राधिकृत समिति की अनुमति से भूमि क्रय की जाती है तो उक्त भूमि को धारा 143 के अन्तर्गत स्वतःअकृषिक (औद्योगिक आशय) से प्रख्यापित समझी जायेगी।

2– उक्त शासनादेश दिनांक 17 सितम्बर, 2019 को संशोधित करते हुए उक्त शासनादेश के प्रस्तर–3 एवं प्रस्तर–4 में उल्लिखित **"राज्य प्राधिकृत समिति"** के स्थान पर **"राज्य प्राधिकृत समिति तथा जिला प्राधिकृत समिति पढ़ा जाय"**।

3– उक्त शासनादेश को इस सीमा तक संशोधित समझा जाय।

(सुशील कुमार)
सचिव (प्रभारी)।

संख्या–1187/XVIII(II)/2019, तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– वरिष्ठ निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, मा0 मुख्यमंत्री उत्तराखण्ड शासन को अपर मुख्य सचिव महोदय के संज्ञानार्थ।
2– प्रमुख सचिव, औद्यौगिक विकास विभाग, चिकित्सा विभाग, शिक्षा विभाग, पर्यटन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
3– आयुक्त, गढ़वाल मण्डल/कुमायूं मण्डल, पौड़ी/नैनीताल।
4– आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, देहरादून।
5– समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।

(कृष्ण सिंह)
संयुक्त सचिव।